

दिल्ली विधान सभा सचिवालय
समाचार भाग-2
(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)
शुक्रवार, 18 अगस्त, 2006/27 श्रावण, 1928 (शक)

संख्या-182

विषय: सदस्य की गिरफ्तारी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली विधान सभा, दिल्ली को संबोधित, जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद, उ. प्र. से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ:-

"मुझे सम्मानपूर्वक आपको यह सूचित करना है कि श्री शोएब इकबाल, माननीय उपाध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को अधिनियम, 1973 की धारा 151 के तहत पुलिस थाना इन्दिरापुरम, जनपथ, गाजियाबाद से दिनांक 17.8.2006 को अपराहन 3.30 बजे गिरफ्तार किया गया।

उन्हें, उसी स्थान से उसी दिन अपराहन 6.20 बजे रिहा कर दिया गया।"

सिद्धार्थ राव
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative and other matters)
Friday, 18th August, 2006/ 27 Sravana 1928 (Saka)

No.182

Sub: Detention and Release of Member

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi was received from District Magistat, Ghazibad, U.P.

"I have the honour to inform you that Shri Shoaib Iqbal, Hon'ble Dy. Speaker, Delhi Vidhan Sabha was detained u/s 151 of Act, 1973 from P.S. Indira Puram, Janpath Gaziabad at 3.30PM on 17.8.2006.

He was released at 6.20 PM from the same place on the same date."

SIDDHA RATH RAO
SECRETARY